

क्रमांक 293/यांत्रिकी/पविनि/19

दिनांक 22/08/2019

**वाहन किराये पर लेने हेतु कोटेशन नोटिस 157**

म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल द्वारा निगम के जबलपुर के विभिन्न स्थानों पर निर्माणाधीन/प्रगतिरत कार्यों की देखरेख के लिये आने जाने हेतु एक नया स्कारपियो एस3/महिन्द्रा टी.यू.व्ही. 300 टी-8 टॉप मॉडल कार्यपालन यंत्री, जबलपुर के लिये तथा एक बुलेरो वाहन, सहायक यंत्री, जबलपुर हेतु टैक्सी कोटे से मासिक किराये पर लेने हेतु प्रदायकर्ताओं को सूचित किया जाता है, कि टैक्सी वाहन किराये पर देने हेतु अपनी दरे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय निगम मुख्यालय पर्यटन भवन भदभदा रोड़ भोपाल में दिनांक 03/09/2019 तक अपराह्न 03:00 बजे तक प्रस्तुत करे। इसके बाद प्राप्त कुटेशन दरों को सम्मिलित नहीं किया जावेगा तथा डाक में देरी की जिम्मेदारी निगम की नहीं होगी। प्राप्त कुटेशन उसी दिन अपराह्न 04:00 बजे उपस्थित पार्टियों अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष निगम मुख्यालय में खोले जावेंगे।

कुटेशन प्रपत्र एवं शर्ते निगम की वेबसाईड [www.mpstdc.com](http://www.mpstdc.com) से अथवा निगम मुख्यालय के यांत्रिकी शाखा से दिनांक 02/09/2019 शाम 05:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है।

कार्यपालन यंत्री

**कोटेशन प्रपत्र एवं शर्तें**  
**(वाहन किराये पर लेने हेतु)**

1.	पार्टी का नाम एवं पूरा पता फोन न.	
2.	आयकर पेन न.	
3.	जी.एस.टी. टेक्स न.	
4.	फर्म अगर पंजीकृत है तब पूर्ण विवरण	
5.	अनुभव	
6.	किराये पर दिये जाने वाले वाहन का पूर्ण विवरण	
a.	वाहन किस कंपनी का है	
b.	वाहन का पंजीयन क्रमांक	
c.	वाहन क्रय करने की तिथि	
d.	वाहन की वर्तमान रीडिंग	
e.	वाहन किस नाम से पंजीकृत है उसका पूर्ण विवरण (छायाप्रति संलग्न करे)	
7.	वाहन का किराया प्रतिमाह रूपये (सभी करो सहित) (3500 कि.मी. प्रतिमाह चलने तक)	
8.	अन्य विवरण जो देना चाहे	

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त दी गई समस्त जानकारी सत्य है एवं निगम द्वारा जारी की गई सभी शर्तें मुझे मान्य हैं।

भवदीय

पार्टी का नाम

## वाहन किराये पर लेने हेतु शर्तें

1. किराये पर दिये जाने वाले वाहन नये होना चाहिये, स्कारपियो एस3/महिन्द्रा टी.यू.व्ही. 300 टी-8 टॉप मॉडल दो माह से अधिक पुराना क्रय किया हुआ न हो तथा टेक्सी कोटे से रजिस्टर्ड होना चाहिये। वाहन किसी प्रकार से दुर्घटना ग्रस्त नहीं होना चाहिये।
2. किराये पर दिये जाना वाला बोलेरो वाहन नया एवं टेक्सी कोटे से रजिस्टर्ड होना चाहिये। वाहन किसी प्रकार से दुर्घटना ग्रस्त नहीं होना चाहिये।
3. पावर स्टीरिंग युक्त वातानुकूलित मॉडल वाहन की आवश्यकता है।
4. 0२ नग वाहन किराये पर लेने की संभावना है तथा वाहन 02 वर्ष की समयावधि हेतु लिये जावेंगे।
5. वाहन का चालन निगम द्वारा नियुक्त वाहन चालक द्वारा किया जावेगा।
6. वाहन में आइल/डीजल/कुलेन्ट निगम द्वारा दिया जावेगा।
7. वाहन की मरम्मत, टायर, ट्यूब बदलने का कार्य अन्य आवश्यक सुधार कार्य वाहन प्रदायकर्ता द्वारा कराया जावेगा।
8. वाहन प्रतिमाह लगभग 3000 से 3500 कि .मी . चलने की संभावना है।
9. वाहन किराये अवधि तक निगम अधिकारी के पास ही रहेगा। अनुबंध अवधि समाप्त होने पर दोनो पक्षों की सहमति से अनुबंध की अबधि बढ़ाई जा सकेगी।
10. वाहन का किराया संबंधित अधिकारी द्वारा प्रतिमाह 05 तारीख तक किया जावेगा तथा नियमानुसार करो की कटौती की जावेगी।
11. वाहन का बीमा, रोड टेक्स एवं वाहन से संबंधित अन्य टेक्सों का भुगतान प्रदायकर्ता द्वारा ही किया जावेगा तथा टोल टेक्स व अन्य राज्य में जाने के टेक्स का भुगतान निगम द्वारा किया जावेगा।
12. धरोहर धनराशि रू. 5000/- **म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल के नाम देय एफ.डी.आर. के रूप में जमा** की जावेगी। न्यूनतम कोटेशन पर वाहन प्रदाय न करने पर जमा राशि राजसात कर ली जावेगी तथा जिन के दर मान्य नहीं होंगे, उन्हें उनकी जमा राशि वापिस कर दी जावेगी।